सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
पौष 12, गुरूवार, *शाके 1946*-जनवरी 02, 2025	
Pausa 12, Thursday, Saka 1946- January 02, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

संख्या:26/भू.अ./ज.स./2024/3239-3253:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नानोर एनिकट निर्माण एंव सोलर बेस्ड लघु सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत, झालावाड़ होगे।

विवरण

नानोर एनिकट निर्माण एवं सोलर बेस्ड माईक्रो सिंचाई परियोजना के लिये अप्रोच रोड,डब्ल्यू.यू.ए. बिल्डिंग,सोलर पेनल सिस्टम व पम्प हाउस इत्यादि हेतु ग्राम रेपला तहसील बकानी जिला झालावाड़ की 0.60 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जाने हेतु भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला झालावाड़।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	नानोर एनिकट निर्माण एवं सोलर बेस्ड माईक्रो सिंचाइ परियोजना	रेपला	रेपला	बकानी	झालावाड़	भूमि अवाप्ति अधिकारी, झालावाड़

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकास कर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड झालावाड़
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र	नानोर एनिकट निर्माण एवं सोलर बेस्ड लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण हेतु कार्य क्षैत्र ग्राम रेपला तहसील बकानी जिला झालावाड़ हैं। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 0.60 हैक्टेयर का (बारानी भूमि 0.60 हैक्टेयर) अधिग्रहण प्रस्तावित हैं।
(ख)	समाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2)सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयाँ भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं हैं।
(घ)	समाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड, झालावाड

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।